

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 322/2025

अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट

मूलाराम बनाम आसूराम व अन्य

प्रार्थी वकील – श्री मिटू खान समेजा
विप्रार्थीगण – श्री सारंगराम मेघवाल विप्रार्थी सं. 1 से 18

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 07.4.2026

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि उसकी खातेदारी का खेत मौजा वरसिंगसर में खसरा सं. 850/633, 856/631 रकबा कमश: 8.6360, 0.4047 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र सांवा, तहसील धनाऊ में स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज की। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 से 18 की ओर से अधिवक्ता श्री सारंगराम मेघवाल द्वारा वकालतनामा पेश किया। तथा विप्रार्थी सं. 1 से 18 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र व काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाब व काउन्टर क्लेम में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अनुतोष मांगा गया जो सही है जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रार्थीगण के खेत के साथ-साथ विप्रार्थी सं. 1 से 18 के खेत मौजा वरसिंगसर, पटवार हल्का सांवा, तहसील धनाऊ के खसरा संख्या 628/340, 630/340 रकबा कमश: 1.4245, 23.9654 हैक्टेयर भूमि के चारों ओर स्थायी नेखमबन्दी हेतु पत्थरगढी चीणों से की जावें। शेष विप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजि. डाक से भेजे हुए पर्याप्त समय बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। चूंकि प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि मौजा वरसिंगसर में खसरा सं. 850/633, 856/631 रकबा कमश: 8.6360, 0.4047 हैक्टेयर, पटवार क्षेत्र सांवा, तहसील धनाऊ की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि दोनों पक्षों के रूबरू विधिसम्मत तरीके से नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी चौहटन